

कार्यवाही विवरण

10-01-2024

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि मौजा बांसा पटवार मण्डल उथरदा तहसील सलुम्बर के आराजी नम्बर 118 रकबा 0.28 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में विपक्षी केवा पिता भेरा, धुला पिता भेरा, गेबा पिता भेरा, रोडा पिता भेरा, लच्छु पिता भेरा, लिम्बडी बाई पत्नि भेरा, बाबरू पुत्र नाथु जाति गडरिया (गायरी) निवासी बांसा के नाम सामलाती खातेदारी हक से दर्ज है। यह की उक्त आराजी नम्बर 118 रकबा 0.28 हैक्टेयर भूमि पर खातेदारान द्वारा अवैध बजरी के स्टोक कर उसे अन्यत्र ले जाया जा रहा है जिससे संपूर्ण कृषि भूमि बंजर हो गई है एवं मिट्टी का उपजाउपन समाप्त हो गया है। तथा वर्तमान में खातेदार नियमित रूप से उक्त भूमि में बजरी के स्टोक कर रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत विपक्षीगण के कृत्य को अवैधानिक करा खातेदारी अधिकार निरस्त करा बेदखली एवं भारी जुर्माने से दण्डित कराने का आदेश फरमावे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सोहनलाल चौधरी ने वकालतनाम मय जवाब पेश कर अंकित किया की विपक्षीगण द्वारा केवल मात्र पशुओं के लिये एक घास घर का कमरा बनाने हेतु थोड़ी रेती लाया था। उसके अलावा न तो मैंने कभी कोई रेती का भण्डारण किया है न ही भविष्य में करूंगा। विपक्षीगण उक्त आराजीयात पर नियमित कृषि कार्य करते आ रहे हैं एवं इनके द्वारा न ही कभी बजरी का खनन किया गया है न ही कोई बजरी का स्टॉक किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि विपक्षी का जवाब रिकॉर्ड पर लेकर वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को निरस्त फरमाया जावे।

उपरोक्त प्रकरण में नायब तहसीलदार गींगला से मौका रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त आराजीयात की भूमि पर काश्त हो रखी है तथा किसी प्रकार का बजरी भण्डारण अथवा अकृषि कार्य नहीं होना पाया गया है।

हमने प्रार्थनापत्र में उपलब्ध दस्तावेजात व नायब तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर मनन किया गया। वर्तमान में मौजा बांसा के आराजी नम्बर 118 रकबा 0.28 हैक्टेयर पर विपक्षीगण काश्त कर रहे हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 रा.का.अ. साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र बी. पाटीदार RAS)
 सहायक उपखण्ड अधिकारी
 जिला सलुम्बर